3rd ANNUAL REPORT 2007-2008

RsBCL

राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

RAJASTHAN STATE BEVERAGES CORPORATION LIMITED

Scanned with CamScanner

RSBCL

अनुक्रमणिका

वार्षिक साधारण सभा का नोटिस	1
प्रॉक्सी फार्म	2
निदेशकों का प्रतिवेदन	3
लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	6
तुलन-पत्र	10
लाभ एवं हानि लेखा	11
अनुसूचियां	12
नकद प्रवाह	25
तुलन पत्र सार एवं निगम की सामान्य रूप रेखा	26
लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर उत्तर	27
सी.ए.जी. की टिप्पणी	32

Scanned with CamScanner

RsBCL

निदेशक मण्डल

अध्यक्ष	:	**श्री सुभाष गर्ग** प्रमुख शासन सचिव वित्त राजस्थान सरकार, जयपुर
निदेशक	1.	**श्री मुकेश शर्मा** आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर
	2.	**श्री यदुवेन्द्र माथुर** शासन सचिव, आयोजना राजस्थान सरकार, जयपुर
	3.	**श्री रजत मिश्रा** शासन सचिव, वित्त (राजस्व) राजस्थान सरकार, जयपुर
प्रबन्ध निदेशक	:	**श्री सी.पी. व्यास** आयुक्त आबकारी विभाग राजस्थान सरकार, उदयपुर
कार्यकारी निदेशक	:	**श्री आर.के. गोयल**

पंजीकृत कार्यालय - वित्त भवन, ''डी'' ब्लॉक, प्रथम मंजिल,

जनपथ-जयपुर - 302004

फोन : 0141-2744231-9

फैक्स - 0141-2744237

ई-मेल - ed@rsbcl.com

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय : डी-ब्लॉक, प्रथम तल, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर - 302 004

संख्या : ए-2 (3)

29 अगस्त, 2008

सेवामें,
समस्त अंशधारक,
निदेशक एवं अन्य

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंशधारियों/सदस्यों की तृतीय वार्षिक आम सभा सोमवार दिनांक 22 सितम्बर, 2008 को कॉरपोरेशन के पंजीकृत कार्यालय में उक्त पते पर निम्नांकित कार्य सम्पादन हेतु 12.30 बजे (अपराह्न) आयोजित की जायगी।

यदि उचित समझा गया तो संशोधनों सहित या रहित निम्न लिखित प्रस्ताव के साधारण प्रस्तावों के रूप पारित करने के लिए विचार करना।

साधारण कारोबार के रूप में :

1. 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए परीक्षित, लाभ-हानि लेखों तथा उसी दिनांक की बैलेन्स शीट, उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं अंशधारियों/सदस्यों को निदेशकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उस पर विचार करना एवं उसे स्वीकृत करना।
2. लाभांश की घोषणा करना, यदि हो तो
3. प्रस्तावित है कि वैधानिक लेखा परीक्षक मै. धूत एण्ड एसोसिऐट्स, चार्टेड एकाउन्टेन्ट्स, जयपुर को वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक देय पारिश्रमिक रूपये 60,000.00 एवं यात्रा व अन्य व्यय अधिकतम रू. 45,000.00 कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 224 (8) एए के अनुसरण में निश्चित किये गये हैं।
4. यह भी प्रस्तावित है कि कॉरपोरेशन के निदेशक मण्डल को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 224 (8) एए के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2007-2008 एवं उसके बाद के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों के लिए देय पारिश्रमिक निश्चित करने के लिए एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

स्थान : जयपुर
दिनांक : 29.08.2008

हस्ताक्षर
(आर.के. सिंघल)
कम्पनी सचिव

नोट :

1. कोई भी सदस्य जो बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के लिए अधिकृत है, वह स्वयं के बदले मतदान में उपस्थित होने एवं मत देने के लिए किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करने के लिए अधिकृत है, परन्तु उस प्रतिनिधि के लिये कॉरपोरेशन का सदस्य होना आवश्यक है। प्रभावी होने के लिए प्रतिनिधित्व निगम में मीटिंग के समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व प्राप्त हो जाना चाहिए। प्रतिनिधित्व - प्रारूप संलग्न है।
2. बैलेन्सशीट, लाभ-हानि लेखा वैधानिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ एवं अंशधारियों को निदेशकों का प्रतिवेदन संलग्न है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई है जो बैठक के दौरान उपलब्ध करा दी जायेगी।

Scanned with CamScanner

प्रतिनिधित्व-प्रपत्र (फार्म)

(कम्पनी एक्ट 1956 की धारा 176(6) देखें)

राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय : डी-ब्लॉक, प्रथम तल, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर - 302 004

मैं/हम ....जिला..का/के उपर्युक्त

कम्पनी सदस्य श्री ....जिला................................को

सोमवार दिनांक 22 सितम्बर, 2008 को अपरान्ह 12.30 बजे या किसी स्थगन के बाद निम्न व्यापारिक विचार विमर्श हेतु आयोजित होने वाली हमारी कम्पनी जिससे हम सम्बद्ध है कि तृतीय वार्षिक आम सभा में वोट देने के लिये मेरे /हमारे प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

दिनांक..............................को हस्ताक्षर किये

हस्ताक्षर

(............रू. का रेवेन्यू टिकट लगाये)

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय : डी ब्लाक, प्रथम तल, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर (राजस्थान)

निदेशकों का प्रतिवेदन

(31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिये अंशधारकों /सदस्यों हेतु)

महानभावो,

आपके निगम के निदेशकों को 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष की निगम के कार्यों की तृतीय वार्षिक रिपोर्ट, अंकेक्षित लेखा खातों सहित आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुये प्रसन्नता है।

1. व्यापारिक परिचालन

1.2 मदिरा का विपणन - निगम ने आई. एम. एफ. एल और बीयर के विक्रय हेतु बाजार की गतिशीलता से अप्रभावित नीति बनाई है, परिणामस्वरूप विक्रेताओं के बीच स्वस्थ स्पर्धा जारी रही है।

निगम ने अपने पुराने अनुभव के आधार पर अपनी नीतियों में जो भी कमियाँ महसूस की उन्हें चालू वर्ष में दूर करने का प्रयास किया है। निगम निरन्तर अपने अंशधारकों के सम्पर्क में है एवं नीति विषयक कमियाँ दूर करने एवं कार्य क्षमता बढाने के लिये सदैव तत्पर है।

विचारणीय वर्ष में आई. एम. एफ. एल. की बिक्री 38.67 लाख कार्टून बक्से हुई जबकि गत वर्ष (सन् 2006-07 में) बिक्री 29.13 लाख कार्टून बाक्स थी। जो कि गत वर्ष की तुलना में 29.87 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि को इंगित करती है। इसी प्रकार बीयर की बिक्री सन् 2006-07 की तुलना में 82.13 लाख कार्टून बक्सों से बढकर 106.66 लाख कार्टून बक्से तक पहुँच गयी जो कि पिछले साल के मुकाबले 29.87 प्रतिशत की बढोतरी दर्शाती है।

1.3 कार्य प्रणाली में पारदर्शिता/ऑनलाइन परिचालन - निगम अपनी समस्त व्यापारिक गतिविधियाँ 'वेब आधारित ऑन लाइन सॉफ्टवेयर' के द्वारा करता है जिससे प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता आगयी है। इस सोफ्टवेयर द्वारा किये जाने वाले समस्त व्यापारिक लेन देन को सीधे देखने का अधिकार सभी आपूर्तिकर्त्ताओं और आबकारी विभाग, राजस्थान को है जिससे वे समस्त जानकारी प्राप्त कर सकें जैसे कि - ओएफएस जारी करने, गोदाम में माल की आवक, विभिन्न ब्रांडों की बिक्री, विभिन्न ब्राण्ड की स्टॉक की स्थिति, साप्ताहिक भुगतान वसुली, आबकारी कर की वसूली इत्यादि। इसी प्रकार प्रत्येक मास में सम्बन्धित खुदरा व्यापारियों को उनके खाते की नकल दी जाती है जिससे वे अपनी संतुष्टि कर ले।

1.4 आधारभूत सुविधायें - सभी डिपो में फर्नीचर व टेलीफोन आदि नित्योपयोगी सुविधा हैं ही साथ ही में कम्प्यूटर, सर्वोत्तम इन्टरनेट सुविधा जैसे ब्राडबैण्ड और ऑनलाइन साफ्टवेयर संचालन के लिये वी सैट, ओनलाइन यू पी एस एवं विद्युत संकट से मुक्ति के लिये जेनरेटर सैट से भी सुसज्जित हैं।

1.5 वित्तीय प्रबन्धन - सशक्त एवं विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन कॉरपोरेशन की मुख्य शक्ति है। निगम की मुख्य वाणिज्यिक क्रियाएें आई एम एफ एल/बीयर की खरीद व बिक्री ऑन लाइन हैं जिसके कारण कॉरपोरेशन का समस्त कार्य सुव्यवस्थित है। आपूर्तिकर्त्ताओं को स्टॉक, बिक्री, बकाया राशि की स्थिति किसी भी समय, कहीं भी देखने के लिये लोगिन/पासवर्ड सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। यह प्रक्रिया निगम के कार्यकलापों को वास्तविक पारदर्शिता प्रदान करती है।

इस साल में एक उल्लेखनीय बदलाव निगम की बैंकिंग व्यवस्था में किया गया जिसके अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक एवं बैंक आफ इंडिया से कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सी.बी.एस.) का अनुबन्ध किया गया एवं इसका पूर्ण लाभ प्राप्त किया गया है। इस प्रकार सीबीएस

Scanned with CamScanner

नेटवर्क के प्रयोग से (कहीं भी बैंकिंग) में सिर्फ जयपुर में बैंक खाता खोला गया है जिसमें रिटेलर्स को समस्त राजस्थान में किसी भी अधिकृत शाखा में राशि जमा की कराने सुविधा प्रदान की गई है। इससे राज्य में करीब 100 शाखाओं में से किसी भी शाखा में जमा राशि निगम के जयपुर स्थित खाते में स्थानान्तरित हो जाती है। इस तरह निगम को एक ओर पैसा तुरंत जमा मिलता है एवं दूसरी ओर खाते में एक लाख रूपये से ज्यादा बैंलेंस होते ही स्मार्ट रोमर स्कीम के अन्तर्गत यह राशि स्वत: ही (एफ डी आर) फिक्स डिपोजिट में चली जाती है जिस पर कॉरपोरेशन को ब्याज अर्जित होता है। सभी सप्लायर्स व अन्य पार्टियों को समय पर निर्धारित भुगतान निगम की कार्यकुशलता का स्पष्ट द्योतक है।

1.6 **भावी दृष्टिकोण** - निगम की तृतीय वर्ष की कार्यवाही सार्थक सिद्ध हुई है। निगम ने सरकार का विश्वास अर्जित किया है। अपनाई गयी नीतियों से अधिक लाभांश सृजित हुआ है और निगम का मैत्रीपूर्ण चेहरा उजागर हुआ है। निदेशक आश्वस्त है कि वे भविष्य में भी आबकारी सेक्टर में सुधार हेतु एक सार्थक भूमिका का निर्वाह करेंगें।

2.1 **वित्तीय परिणाम** - कारपोरेशन की गत वर्ष की कुल बिक्री रु. 1003.07 करोड़ की थी जो इस बार 29.87 प्रतिशत बढ़कर रु. 1302.72 करोड़ हो गई। यह वृद्धि सरकार द्वारा किये गये नीतियों में सुधार और निगम के द्वारा अपनाई गयी पारदर्शिता का ही परिणाम है। पिछले साल रू. 15 करोड़ के स्थान पर इस साल प्रिविलेज फी के रूप में 15 करोड़ रू. चुकाये गये है। सन् 2006-07 में अर्जित 1.22 करोड़ रू. के स्थान पर इस वर्ष 29.5 प्रतिशत अधिक ब्याज अर्जित हुआ और यह अर्जित ब्याज 1.58 करोड़ रू. तक पहुँच गया।

2.2 निदेशक मण्डल ने प्रदत्त पूँजी पर 10% (10 रु. प्रति शेयर) के हिसाब से लाभांश की अनुशंसा की है। लाभांश वितरण शुल्क सहित इस लाभांश के भुगतान में रु. 23,39,900/- की आवश्यकता होगी।

3. **बैंलेंस शीट की तिथि से आज तक के बीच महत्वपूर्ण तथ्यात्मक परिवर्तन एवं प्रतिबद्धता - कुछ नही।**

4. **निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण**

4.1 चालू वर्ष के वित्तीय खाते बनाने में एकाउन्टिंग स्टेन्डर्स का पालन किया गया है व महत्वपूर्ण अन्तर के लिये खुलासा किया गया है।

4.2 यह कि निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया, उन्हें निरन्तर प्रयुक्त किया एवं ऐसे निर्णय लिये व अनुमान लगाये जो उचित एवं सूझबूझयुक्त थे। वे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कम्पनी के कामकाज की स्पष्ट स्थिति तथा इस अवधि में कम्पनी के लाभ या हानि का सही एवं उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

4.3 यह कि निदेशकों ने कम्पनी के अनुसार उसें पर्याप्त लेखा अभिलेखों के संधारण के लिये, जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिये उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है।

4.4 यह कि निदेशकों ने चालू प्रतिष्ठान (ऑन गोईंग) के आधार पर वार्षिक लेखों को तैयार किया है।

4.5 **पूँजीगत संरचना**

आलोच्य वर्ष में निगम की रु. 5.00 करोड रुपये की प्राधिकृत पूंजी एवं रु. 2.00 करोड की प्रदत्त पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

5. **व्यवसाय (टर्न ओवर)**

इस वर्ष निगम का व्यवसाय गत वर्ष के व्यवसाय रु. 1003.07 करोड़ की तुलना में रु. 1302.72 करोड है।

6. **वर्तमान दृष्टिकोण**

चालू वर्ष में आपके निगम का कार्य निष्पादन एक आशावादी दृष्टिकोण को प्रतिपादित करता है। हमें विश्वास है कि हम चालू वर्ष में और उसके बाद भी निगम के विकास एवं उसकी लाभ प्रदत्तता में वृद्धि को कायम रखेंगे।

Scanned with CamScanner

7. प्रोद्योगिकी

निगम किसी विदेशी प्रोद्योगिकी का उपयोग नहीं कर रहा है और उसने ऊर्जा संरक्षण की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया है।

8. कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2ए) के अन्तर्गत प्रकटीकरण

कम्पनी अधिनियम 1956 के साथ ही नियम 1975 (कर्मचारियों के सम्बंध में) के प्रावधानों के अनुसार यह उल्लेख किया जाता है कि आलोच्य वर्ष में किसी भी कर्मचारी ने विहित सीमा से अधिक का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है, अत: इस सम्बन्ध में सूचना शून्य समझी जावे।

9. वैयक्तिक एवं औद्योगिक सम्बन्ध

निगम के प्रबन्धकों एवं कर्मचारियों के बीच वर्ष भर सम्बन्ध सुखद एवं सौहार्दपूर्ण रहे हैं।

10. बोर्ड की बैठकें

आलौच्य वर्ष में संचालक मण्डल के मूल्यवान परामर्श एवं मार्ग दर्शन से निगम लाभान्वित हुआ है एवं इसके परिणामस्वरूप ही उल्लेखनीय परिणामों की प्राप्ति हुई है।

11. बोर्ड के निदेशक

राज्य सरकार द्वारा आलौच्य वर्ष में निगम के निम्न निदेशक नियुक्त किये गये हैं।

श्री सुभाष गर्ग, श्री मुकेश शर्मा, श्री यदुवेन्द्र माथुर और श्री रजत मिश्रा को निदेशक नियुक्त किया गया और श्री राजीव महर्षि, श्री प्रेम सिंह मेहरा, श्री संजय मलहोत्रा और श्री वी. श्रीनिवास कार्यमुक्त हुये हैं।

निगम के बोर्ड में निदेशकों के रूप में वर्ष के दौरान बोर्ड के सदस्यों से प्राप्त मूल्यवान परामर्श एवं मार्ग निर्देशन के लिये हम उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।

12. लेखा परीक्षक

वर्ष 2007-08 के लिये लेखों की परीक्षा करने हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा मैसर्स धूत एण्ड एसोसियेट्स चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स को नियुक्त किया गया है।

13. आभार

आपके निदेशक, आलौच्य वर्ष में उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त करने के लिये निगम के कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा निष्ठापूर्ण एवं प्रशंसनीय सेवायें प्रदान करने पर कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं तथा हमें विश्वास है कि इसके सभी अधिकारी एवं कर्मचारी आगामी वर्षों में निगम के कार्य निष्पादन में और सुधार लाने हेतु निरन्तर कठिन परिश्रम करते रहेंगे। निदेशक मण्डल आलौच्य वर्ष के दौरान निगम को दिये गये सहयोग एवं मूल्यवान सहायता के लिये केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/कम्पनी बैंकर/अन्य स्वायत्तशासी निकायों के प्रति भी अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हैं।

बोर्ड की आज्ञा से

स्थान : जयपुर	ह.	ह.
दिनांक : 21.08.2008	**कार्यकारी निदेशक**	**प्रबन्ध निदेशक**

Scanned with CamScanner

धूत एण्ड एसोसियेट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

एफ-3, रमेश मार्ग
सी-स्कीम, जयपुर
फोन : 0141-2222236, 5118762, 4007133
ईमेल :dhoot_asso@yahoo.co.in

सेवा में
सदस्यगण,
राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लि., जयपुर

राजस्थान स्टेट बेवरेज कार्पोरेशन लिमिटेड जयपुर के सदस्यों हेतु लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

हमनें 31.03.2008 को यथास्थिति राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर, के संलग्न तुलन पत्र की तथा उसमें संलग्न उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ-हानि लेखों तथा नकदप्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कम्पनी के प्रबन्धक वर्ग का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरण-पत्रों पर अपनी राय अभिव्यक्त करना है।

हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत में साधारण तौर पर स्वीकार्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में अपेक्षा की गयी है कि हम अपनी लेखा परीक्षा के लिए योजना एवं कार्य निष्पादन यह युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए करते हैं कि वित्तीय विवरण किन्हीं तात्विक मिथ्या कथनों से मुक्त हों। एक लेखा परीक्षा में, परीक्षण आधारित राशियों का समर्थन करने वाले साक्ष्य एवं वित्तीय विवरणों का प्रकाशन सम्मिलित हैं। एक लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धान्तों का निर्धारण एवं प्रबन्धक वर्ग द्वारा किये गये महत्वपूर्ण अनुमान तथा साथ ही सम्पूर्ण वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए एक युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है।

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 की उप धारा 4ए के अनुसार भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए कम्पनीज (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश 2003 द्वारा अपेक्षित अनुलग्नक में, उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण संलग्न करते हैं।

उपर्युक्त दिए गये अनुलग्नक में दिए गये विवरण के आगे हम घोषित देते हैं कि :

(अ) हमने वे समस्त सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के आधार पर हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे।

(ब) हमारी राय में जहाँ तक पुस्तकों की जाँच से प्रतीत होता है, कम्पनी ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी हैं।

(स) इस प्रतिवेदन द्वारा व्यवहृत बैलेन्सशीट एवं लाभ-हानि लेखा और नकद-प्रवाह विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

(द) हमारी राय में बैलेन्सशीट एवं लाभ व हानि खाते तथा नकद-प्रवाह विवरण जो कि इस रिपोर्ट में प्रस्तुत है कम्पनी अधिनियम 1956

Scanned with CamScanner

की धारा 211 की उपधारा 3 (सी) में वर्णित लेखांकन मानकों की अनुपालना करते हैं।

(य) हमारी राय में, प्राप्त सर्वोत्तम सूचना के अनुसार, हमें दिए गये स्पष्टीकरण व इस रिपोर्ट के एनेक्सर में हमारे द्वारा की गयी टिप्पणियाँ जो इस रिपोर्ट की अभिन्न अंग हैं लेखांकन नीतियों एवं टिप्पणियों के साथ पठित उक्त लेखे कम्पनी अधिनियम 1956 द्वारा वांछित सूचना अपेक्षित तरीके में देते हैं ये भारत में साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन नियमों का सही एवं उचित दृष्टिकोण निम्नानुसार प्रस्तुत करते हैं -

(i) बैलेन्स शीट मामले में 31 मार्च, 2008 को यथास्थिति कम्पनी के कामकाज की स्थिति।

(ii) लाभ-हानि के लेखे में उस दिनांक को समाप्त वर्ष में लाभ था।

(iii) नकद प्रवाह विवरण के मामले में उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह।

कृते
धूत एण्ड एसोसियेट्स
चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स
ह.
(के. के. धूत)
साझेदार संदस्य संख्या 70184

स्थान : एफ-3, रमेश मार्ग,
सी-स्कीम, जयपुर-302001
दिनांक : 29.08.2008

Scanned with CamScanner

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक, समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट से सम्बद्ध :

1. (अ) कम्पनी ने परिसम्पत्तियों के अवमूल्यन व्यय के अतिरिक्त अपनी परिसम्पत्तियों का परिमाणात्मक ब्यौरा एवं उनकी स्थिति के साथ अपना रिकार्ड सही रूप में रखा है।

   (ब) जैसा हमें बताया गया कि प्रबंधकों द्वारा आलोच्य वर्ष में एक बार अपनी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है। प्रबन्धन द्वारा प्रमाणित किया गया कि इस सत्यापन में उन्हें कोई भी अन्तर नहीं मिला है।

   (स) इस वर्ष में स्थिर परिसम्पत्तियों के किसी भी महत्वपूर्ण भाग को नहीं बेचा गया है।

2. (अ) स्पष्ट किया गया है कि कम्पनी की चल सम्पत्तियों (स्टॉक) का निरीक्षण वर्ष में युक्तियुक्त अन्तराल से प्रबंधन द्वारा किया जाता है।

   (ब) हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी के आकार और इसके व्यापार कीप्रकृति को देखते हुए जो प्रबन्धन द्वारा भौतिक सत्यापन की जो विधि अपनाई गयी है वह युक्तियुक्त एवं पर्याप्त है।

   (स) जैसा हमें बताया गया है कम्पनी ने स्टॉक के रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर में संधारित किये, तथापि इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का ई.डी.पी. अंकेक्षण नही करवाया जा रहा है।

3. (अ) कम्पनी ने किसी भी कम्पनी, फर्म या किसी पार्टी से न तो किसी प्रकार का ऋण (सुरक्षित एवं असुरक्षित) लिया है और न ही दिया है जो कि धारा 301 कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत आता हो।

   (ब) चूंकि कम्पनी ने, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत न तो कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण किसी भी कम्पनी, फर्म या पार्टी से नहीं लिया या दिया है, जो कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के रजिटर में आता हो इसलिए संख्या 4 (iii) (b) से (d) लागू नहीं है।

4. हमारे अभिमत के अनुसार और जो विवरण एवं स्पष्टीकरण हमें दिया गया है के अनुसार कम्पनी के आकार, चल अचल सम्पत्तियों की खरीद, माल की बिक्री और सेवाओं को देखते हुए कम्पनी द्वारा स्टॉक एवं स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद एवं बिक्री में आन्तरिक नियंत्रण व्यवस्था काफी सुदृढ है परन्तु

   (अ) लिकर सोर्सिंग पॉलिसी के अनुसार जो बीयर वोटलिंग के दिनांक से छह माह से अधिक समय तक बिना बिके रह जाती है वह इन्सानी उपयोग के लिये अनुपयुक्त घोषित कर दी जाती है और उसे निगम द्वारा नष्ट कर दिया जाना चाहिये। कम्पनी ने वोटलिंग की दिनांक का अंकन नहीं किया है, अत: कम्पनी द्वारा उक्त नीति की पालना नहीं हुई है।

   (ब) कम्पनी की नियमित लेखा पुस्तकों में, बिक्री, खरीद एवं देनदारों से प्राप्त किये गये भुगतान की मासिक प्रविष्टि सामान्यतः प्रत्येक महिने के अन्त में की गयी है।

   (स) मदिरा विपणन नीति के अनुसार पूरी मूल्य राशि प्राप्त करने के बाद ही खुदरा अनुज्ञाधारियों को माल दिया जाता है। जबकि निगम के 51.87 लाख (47 लाख की 6 माह पूर्व की लेनदारियों सहित) करोड़ के देनदार है जो यह दर्शाते हैं कि पूर्ण मूल्य प्राप्त किये बिना ही निगम द्वारा माल बेचा गया है।

   (द) अंकेक्षण के दौरान आंतरिक प्रबन्धन में कोई बार-बार होने वाली गलती नहीं मिली जिसे सही किया जाय।

5. कम्पनी एक्ट की धारा 301 के अन्तर्गत आने वाला कोई अनुबन्ध या प्रबन्ध नहीं पाया गया, जिसकी कम्पनी एक्ट 1956 की धारा 301 के अनुसार बने रजिस्टर में प्रविष्टि की जाती। बिन्दु 5 (b) लागू नहीं है।

6. चूंकि कम्पनी ने पब्लिक से कोई धन नहीं जुटाया है फलस्वरूप रिजर्व बैंक के निर्देश और धारा 58A, 58AA या कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधान या अन्य कोई नियम लागू नहीं होते।

Scanned with CamScanner

7. हमारे विचार में कम्पनी के आकार एवं व्यवसाय के आधार पर इसमें आन्तरिक अंकेक्षण पद्धति लागू है।

8. केन्द्रीय सरकार द्वारा कम्पनी एक्ट 1956 की धारा 209 (1) (डी) के अन्तर्गत लागत लेखों का विवरण रखने के लिए कहीं इंगित नहीं किया गया है।

(अ) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा लेखा किताबों के निरीक्षण से ज्ञात हुआ कि कम्पनी में राज्य सरकार के दूसरे संगठनों से नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के सारे वैधानिक भुगतान जैसे भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आदि उनके पैतृक संगठनों में जमा करवा दिये गये हैं। कम्पनी आमतौर पर गैर विवादित वैधानिक सरकारी बकाया जैसे इन्कम टैक्स, सेल्स टैक्स, वेल्थ टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सैस और अन्य कानूनी भुगतान समय पर नियत सरकारी महकमें में जमा करवाती रहती है।

(ब) हमें दी गयी सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार कोई भी इन्कम टैक्स, वैल्थ टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सैस के रूप में 31 मार्च 2008 को 6 महिने में पूर्व देय अविवादित राशि का भुगतान बकाया नहीं है।

(स) हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, वैल्थ टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सैस आदि का कोई भी भुगतान किसी विवाद के कारण बकाया नहीं है। केवल फरवरी 2005 से अगस्त 2007 तक का विवादित सर्विस टैक्स रु. 521,25843.00 केन्द्रीय आबकारी विभाग जयपुर के आयुक्त के कारण बताओ नोटिस के कारण बकाया है।

10. कम्पनी को वर्ष 31 मार्च 2008 में कोई और न ही अंकेक्षण वित्त वर्ष और पूर्व वर्ष में कोई नकद हानि हुई है।

11. कम्पनी वित्तीय संस्थाओं, बैंक या ऋण पत्र धारक को भुगतान में कही भी दोषी नहीं पायी गयी है।

12. कम्पनी ने शेयर्स, डिबैन्चर्स या अन्य प्रतिभूतियों की जमानतों के पेटे कोई भी ऋण या अग्रिम स्वीकृत नहीं किये।

13. कम्पनी कोई चिट फण्ड/निधि/म्यूच्युअल बेनीफिट फण्ड/सोसाइटी नहीं है इसलिए कम्पनीज (आडिटर्स रिपोर्ट) आर्डर 2003 के अनुच्छेद 4 (xiii) के प्रावधान लागू नहीं होते।

14. कम्पनी, शेयर, प्रतिभूति, ऋण पत्रों या अन्य विनिवेष के क्रय-विक्रय का धन्धा नहीं करती है।

15. कम्पनी ने किसी दूसरे के द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिये गये त्रण की कोई जमानत नहीं दी है।

16. कम्पनी ने अंकेक्षण वर्ष कोई भी सावधि ऋण नहीं उठाया है।

17. नकद प्रवाह विवरण व अन्य विवरणों की हमारे द्वारा की गयी जाँच एवं प्राप्त सूचनाओं और स्पष्टीकरण के आधार पर लेख है कि लघु अवधि के लिए उठायी गयी निधि का लम्बे समय के लिए निवेश नहीं किया गया।

18. कम्पनी ने कोई भी शेयर पार्टियों या कम्पनी को निर्गमित नहीं किए हैं जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत तैयार किये गये रजिस्टर में सम्मिलित हों।

19. कम्पनी ने कोई ऋण पत्र निर्गमित नहीं किए हैं अत: कोई भी प्रतिभूति या शुल्क सृजित नहीं किया गया है।

20. कम्पनी के द्वारा जनता से किसी भी निर्गमन द्वारा पैसा इकट्ठा नहीं किया गया है।

21. हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार उदयपुर डिपो में 2.80 लाख रुपये की जालसाजी आलोच्य वर्ष में दृष्टिगत हुई है जिसे लेखा पुस्तकों में व्यवहृत नहीं किया गया है।

कृते
धूत एण्ड एसोसियेट्स
चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स
ह.
(के.के. धूत)
साझीदार
सदस्य संख्या 70184

स्थान : एफ-3, रमेश मार्ग,
सी-स्कीम, जयपुर-302001
दिनांक : 21.08.2008

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड

31 मार्च, 2008 को यथास्थिति तुलन पत्र (बैलेन्स शीट)

	विवरण	अनुसूची	31.03.2008 (रुपयों में)		31.03.2007 (रुपयों में)	
	निधियों के स्रोत					
1	अंशधारकों की निधियाँ				20000000	
	(क) पूँजी	ए	20000000		1396208	21396208
	(ख) आरक्षित एवं अधिशेष	बी	3499165	23499165		
2	ऋण निधियाँ					
	(क) प्रत्याभूत ऋण					
	(ख) अप्रत्याभूत ऋण		-	-	-	-
3	आस्थगित कर देयता			444359		218942
	योग			**23943524**		**21615150**
	निधियों का प्रयोग					
1	स्थिर आस्तियाँ	सी				
	(क) सकल समूह			12225900	9523809	
	(ख) घटाइए : ह्रास			4965278	2132090	
	(ग) असल समूह			7260622		7391719
2	निवेश			3000.00		3000.00
3	चालू आस्तियाँ ऋण एवं अग्रिम					
	(क) सूचियाँ		-		-	
	(ख) विविध देनदार	डी	8316721		12738773	
	(ग) रोकड़ एवं बैंक अतिशेष	डी	407079846		262759383	
	(घ) ऋण एवं अग्रिम	ई	37491343		39662269	
	घटाइए :		452887910		315160424	
	चालू देयतायें एवं प्रावधान	एफ				
	(क) चालू देयता		432904371		302625179	
	(ख) प्रावधान		4721122		592261	
			437625493		303217440	
	शुद्ध चालू आस्तिया			15262417		11942985
4.	(अ) विविध व्यय (अपलिखित या समायोजित नहीं किए जाने की सीमा तक)	जी		1417486		2277446
	योग			**23943524**		**21615150**
	लेखा पर टिप्पणियाँ	के				

समसंख्यक दिनांक के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार
कृते धूत एण्ड एसोसियेट्स
चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट

निदेशक मण्डल की ओर से

ह.	ह.	ह.	ह.	ह.
के.के. धूत	बी. के. शर्मा	आर. के. सिपंल	आर. के. गोयल	सी. पी. व्यास
साझीदार	महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)	कम्पनी सचिव	कार्यकारी निदेशक	प्रबन्ध निदेशक

स्थान : जयपुर
दिनांक : 21.08.2008

Scanned with CamScanner

RsBC

राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ एवं हानि खाता

	विवरण	अनुसूची	31.03.2008 (रुपयों में)	31.03.2007 (रुपयों में)
1	आय			
	(अ) मदिरा/बीयर की बिक्री		13027238354	10030667225
2.	बिक्री की लागत		12771801373	9833986892
	सकल लाभ		255436982	196680333
	अन्य आय			
	(अ) बैंक के जमाओं पर ब्याज		15826451	12228312
	(ब) विविध प्राप्तियाँ		3348713	1384232
	(ग) डेमरेज शुल्क		21782806	35276012
	योग		**296394952**	**245568889**
	व्यय			
3.	प्रशासन एवं सामान्य व्यय	एच	72569047	64928098
4.	प्रबन्धकीय पारिश्रमिक	आई	789239	710556
5.	वित्तीय व्यय	जे	390114	2305816
6.	ह्रास		2126387	1791193
7.	प्रीविलेज फीस-राजस्थान सरकार को		190000000	150000000
8.	लाइसेन्स फीस-राजस्थान सरकार को		23500000	23080000
9.	विविध खर्चे अपलिखित की गयी राशि		0	72500
	योग		**289374787**	**242888163**
10.	उपरोक्त वर्ष का लाभ		7020165	2680726
11.	गत वर्ष के समायोजन		(391831)	788383
12.	गत वर्ष के समायोजन के पश्चात् लाभ		7411996	1892343
13.	घटाइये कर का प्रावधान			
	(ए) चालू कर		2132300	592261
	(बी) आस्थगित कर		225397	181127
	(सी) फ्रिंज लाभ कर		248922	278366
14.	कराधान के पश्चात लाभ		4805377	840589
15.	प्रस्तावित लाभांश के लिये प्रावधान		2000000	
16.	लाभांश कर के लिये प्रावधान		339900	
17.	लाभ का सामान्य संचय में अंतरण		2465477	840589
18.	प्रति शेयर आय (100 रूपये प्रति शेयर अंकित मूल्य)		24.03	4.20
19	एकाउन्ट्स पर टिप्पणियाँ	के		

समसंख्यक दिनांक के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार
कृते धूत एण्ड एसोसियेट्स
चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट

निदेशक मण्डल की ओर से

ह.	ह.	ह.	ह.	ह.
के.के. धूत	**बी. के. शर्मा**	**आर. के. सिघंल**	**आर. के. गोयल**	**सी. पी. व्यास**
साझीदार	महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)	कम्पनी सचिव	कार्यकारी निदेशक	प्रबन्ध निदेशक

स्थान : जयपुर
दिनांक : 21.08.2008

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

अनुसूची-'ए'

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र का भाग

अंश पूंजी

विवरण	31.03.2008 (रुपयों में)	31.03.2007 (रुपयों में)
प्राधिकृत शेयर पूंजी 500000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 100/- रूपये के	50000000.00	50000000.00
निर्गमित, अभिदत्त एवं समादत्त पूंजी 200000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 100/- रूपये के	20000000.00	20000000.00
योग	**20000000.00**	**20000000.00**

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

अनुसूची-'बी'

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र का भाग

संचय एवं आधिक्य

विवरण	31.03.2008 (रुपयों में)	31.03.2007 (रुपयों में)
(अ) पूँजीगत रिजर्व		
अनुदान	137500	500000
(ब) सामान्य संचय		
पुराने तुलन पत्र के अनुसार शेष	896208	55619
जोड़ें : लाभ-हानि लेखे से हस्तांतरित	2465477	840589
योग	**3499185**	**1396208**

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

अनुसूची-'सी'

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र का भाग

स्थायी सम्पत्तियाँ

क्र. सं.	विवरण	सकल समूह				ह्रास/कटौतियाँ				शुद्ध समूह	
		यथास्थिति 1 अप्रेल, 2007	अभिवृद्धि	कटौती	31 मार्च, 2008 को यथास्थिति	31 मार्च, 2007	चालू वर्ष के लिए	कटौती (गत वर्ष से सम्बन्धित)	31 मार्च, 2008 को यथास्थिति	31 मार्च, 2008 को यथास्थिति	31 मार्च, 2007 को यथास्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	कार्यालय उपकरण										
(अ)	टेलीफोन उपकरण	23850.00	2250.00	-	26100.00	6912.00	4606.00	0	11518.00	14582.00	16938.00
(ब)	मोबाईल उपकरण	152036.00	17600.00	-	169636.00	36516.00	17508.00	0	54024.00	115612.00	115520.00
(स)	फैक्स मशीन	24100.00	-	-	24100.00	6129.00	2500.00	0	8629.00	15471.00	17971.00
(द)	आर. ए. एस. का संस्थापन	95000.00	-	-	95000.00	23780.00	9907.00	0	33687.00	61313.00	71220.00
(य)	यूपीएस (बैटरियां)	118800.00	186466.00	-	305266.00	29738.00	15750.00	0	45489.00	259777.00	89062.00
2.	कम्प्यूटर उपकरण										
(अ)	सॉफ्टवेयर का संस्थापन	688333.00	-	-	688333.00	434793.00	101416.00	0	536209.00	152124.00	253540.00
(ब)	कम्प्यूटर	1689868.00	1443250.00	-	3133118.00	603052.00	811623.00	493644.00	1908318.00	1224800.00	1086816.00
(स)	लैपटोप	390902.00	-	-	390902.00	141068.00	99933.00	0	241002.00	149900.00	249834.00
3.	फर्नीचर एण्ड फिक्सचर	2883074.00	243063.00	-	3126137.00	536124.00	436192.00	213157.00	1185472.00	1940665.00	2346950.00
4.	कम्प्यूटर ऐसेसरीज	16141.00	534843.00	-	550984.00	3078.00	120818.00	0	123896.00	427088.00	13063.00
5.	डी. जी. सेट	609174.00	193208.00	-	802382.00	40325.00	84336.00	0	124661.00	677721.00	568849.00
6.	विद्युत उपकरण	589715.00	-	-	589715.00	82583.00	91791.00	0	174374.00	415341.00	507132.00
7.	अग्नि सुरक्षा उपकरण	301500.00	68166.00	-	369666.00	3286.00	54182.00	0	57468.00	312198.00	298214.00
8.	हैण्ड प्लेट ट्रक	47960.00	-	-	47960.00	3544.00	8039.00	0	11583.00	36377.00	44416.00
9.	ब्रॉडबैण्ड उपकरण	50119.00	-	-	50119.00	18565.00	12622.00	0	31186.00	18933.00	31554.00
11.	ऑफिस एक्यूपमेन्ट	236332.00	13245.00	-	249577.00	24601.00	41068.00	0	65668.00	183909.00	211731.00
12.	एयर कन्डीशनर्स	273687.00	-	-	273687.00	40444.00	42217.00	0	82661.00	191026.00	233243.00
13.	वी. सेट	1333218.00	-	-	1333218.00	97552.00	171881.00	0	269433.00	1063785.00	1235666.00
	योग	9523809.00	2702091.00	0	12225900.00	2132090.00	2126387.00	706801.00	4965278.00	7260622.00	7391719.00
	गत वर्ष	2014294.00	7509515.00	0.00	9523809.00	340897.00	1791193.00	0.00	2132090.00	7391719.00	

नोट : (1) कम्प्यूटर खाते में 1386400 रु. का संयोजन/समायोजन गत वर्ष कम्प्यूटरों की खरीद को प्रदर्शित करता है और राजस्व खाते में अंकन आलोच्य वर्ष में पूंजी में परिणिति दर्शित करता है। इन कम्प्यूटरों में 493683.63 का ह्रास इस वर्ष में अंकित किया गया है।

(2) फर्नीचर एवं फिक्सचर्स खाते में 213157.02 रु. का समायोजन परिसम्पत्तियों की ऐसी प्रकृति के कारण है, जिन्हें गत वर्ष अपलिखित कर देना चाहिए था, उसे इस वर्ष अपलिखित किया गया है।

राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

अनुसूची-'डी'

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र का भाग

चालू आस्तियाँ

विवरण	31.03.2008 (रुपयों में)		31.03.2007 (रुपयों में)	
अ विविध देनदार (थोक विक्रेताओं से प्राप्ति योग्य असुरक्षित एवं अच्छी रकम)				
(अ) छः माह से अधिक	4700146		4010879	
(ब) छः माह से कम	487341		2504021	
(स) सप्लायरका डेबिट शेष	3129234	8316721	6223872	12738773
ब नकद एवं बैंक अधिशेष				
रोकड़ हस्तस्थ	0		21516	
पी. डी. खाता	10000000		10000000	
बैंक ऑफ इंण्डिया में सावधि जमा	73627093		29015171	
यूको बैंक म सावधि जमा	108200000		0	
पंजाब नेशनल बैंक में सावधि जमा	178840000		115510000	
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, जालौर	14816858		22952778	
यूको बैंक सी ए खाता सं. 113	193327		0	
यूको बैंक एच ओ खाता	0		16181248	
बैंक आफ इण्डिया एच ओ खाता	0		13105687	
		385677278		206786400
बैंक ऑफ इण्डिया जमा खाता				
बाडमेर डिपो	0		20000	
चित्तोडगढ डिपा	0		1753000	
श्रीगंगानगर डिपा	10000		1001065	
पंजाब नेशनल बैंक जमा खाता		10000		2774065
धोलपुर डिपो	0		733720	
झालावाड़ डिपा	0		8457372	9191092
यूकों बैंक डिपो जमा खाता				
अजमेर डिपो 1238	0		160000	
अजमेर डिपा 4726	3579483		3908640	
अजमेर डिपो स्टेशन रोड़	0		3354250	
अलवर डिपो	1631566		4693000	
भरतपुर डिपो	1971500		2363711	
भीलवाड़ा डिपा	0		1328193	
बीकानेर डिपो	1587683		494925	
दौसा डिपा	3317082		259400	
हनुमानगढ डिपा	20000		63869	
झून्झूनू डिपा	817240		218455	
जोधपुर डिपा 903146	0		736185	
जोधपुर डिपा 92832	19265		19788978	
नागौर डिपो	8348750		5378500	
श्रीगंगानगर डिपा	100000		284000	
उदयपुर डिपो 1124	0		758280	
उदयपुर डिपा 3177	0		217440	
		21392568		44007826
		407079846		262759383

राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

अनुसूची-'ई'

31 मार्च, 2008 को यथास्थिति तुलन पत्र का भाग

ऋण एवं अग्रिम

विवरण	31.03.2008 (रुपयों में)	31.03.2007 (रुपयों में)
अग्रिम नकद किस्म या माल के रूप में वसूलने योग्य		
स्टॉफ को अग्रिम	38,329	19,344
अन्यों को अग्रिम	203195	26738
सिक्यूरिटी जमा	24033	27500
डिपो मैनेजर के पास पेशगी	**419,202**	**204,946**
पूर्वप्रदत्त कर		
अग्रिम इन्कम टैक्स	2,200,000	2,200,000
एफ बी टी अग्रिम	198,414	-
सावधि जमा की ब्याज पर स्रोत पर कर कटौती	5,138,466	3,363,859
पूर्वदत्त खर्चे	24,913,513	25,523,513
अन्य चालू आस्तियाँ		
परमिट फीस	-	800,544
राजस्थान सेल्स टैक्स	23,382	-
वेन्ड फीस	4,332,810	7,477,176
आबकारी शुल्क पर अधिभार	-	18,650
योग	**37,491,343**	**39,662,269**

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

अनुसूची-'एफ'

31 मार्च, 2008 को यथास्थिति तुलन पत्र का भाग

चालू देयतायें एवं प्रावधान

	विवरण	31.03.2008 (रुपयों में)		31.03.2007 (रुपयों में)	
1	**चालू देयताऐं**				
	विविध लेनदार - पुराने थोक विक्रेता	1326541		2645014	
	विविध लेनदार - सप्लायर्स/डिस्टलरीज	287340566		202622004	
	विविध देनदार-जिनका क्रेडिट शेष है	17187649		9073667	
	विविध लेनदार-खर्च के लिए	2988283		4254626	
	खुदरा व्यापारियों से अग्रिम	13267152		14312116	
	सेवा प्रदाताओं की जमा प्रतिभूतियाँ	577495		663189	
	अदत्त व्यय	2344572		1393785	
	अन्य दायित्व	59721		17000	
	संस्थापन व्यय	4951764		5142118	
2.	**बैंक ओवर ड्राफ्ट**		330043742		240123520
	पंजाब नेशनल बैंक मुख्यालय खाता	21443170		51329622	
	यूकों बैंक, टोंक डिपो	0		75	
	यूकों बैंक, मुख्यालय खाता	24135231		0	
	यूको बैंक, भीलवाड़ा डीपो	25216		0	
	बैंक ऑफ इण्डिया, अलवर डिपो	56000		56000	
	बैंक ऑफ इण्डिया	31358875		0	
	बैंक ऑफ इण्डिया, हनुमानगढ डिपो	500		500	
	पंजाब नेशनल बैंक, झालावाड़	6000		0	
	पंजाब नेशनल बैंक, बाडमेर	4111	77029103	4111	51390308
3.	**वैधानिक देनदारियाँ**				
	देय- राजस्थान बिक्री कर	0		32802	
	एफ बी टी देय	0		37116	
	टी डी एस देय	429595		261697	
	टी सी एस देय	14823515		9545376	
	परमिट फीस	5997642		0	
	देय- लाईसेन्स फीस	0		1200000	
	देय- एक्साइज ड्यूटी	3662631		34360	
	एक्साइज ड्यूटी पर अधिशुल्क	918144	25831526	0	11111351
4.	**प्रावधान**				
	आयकर हेतु	2132300		592261	592261
	एफ बी टी हेतु	248922		0	
	कर सहित डिविडेन्ट हेतु	2339900	4721122		
	योग		437625493		303217440

राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

अनुसूची-'जी'

31 मार्च, 2008 को को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते का भाग
विविध व्यय, अपलिखित या समायोजित नहीं किए जाने की सीमा तक

क्र.स.	विवरण	31.03.2008 (रुपयों में)		31.03.2007 (रुपयों में)	
1.	प्रारम्भिक खर्चे				
	प्रारम्भिक शेष	217500		290000	
	जोड़े : वर्ष के दौरान अभिवृद्धि				
	घटाइए : इस वर्ष में अपलिखित किए गए	217500	0	72500	217500
2.	कार्यालय भवन की मरम्मत के लिये आस्थगित राजस्व व्यय				
	प्रारम्भिक शेष	2059946		1011418	
	जोड़ें : वर्ष के दौरान अभिवृद्धि/ह्रास	(-) 80325		1626728	
	घटाइए : इस वर्ष में अपलिखित किए गए	562135	1417486	578200	2059946
	कुल योग		1417486		2277446

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

अनुसूची - 'एच'

31 मार्च, 2008 को को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते का भाग

प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय

विवरण	31.03.2008 (रुपयों में)	31.03.2007 (रुपयों में)
संस्थापन व्यय		
वेतन एवं मजदूरी	27073952	23074142
मानदेय	17900	24219
यात्रा व्यय	363471	301056
लेखांकन सेवा में व्यय	959954	890356
कर्मचारी कल्याणकारी योजना में व्यय	0	50855
चिकित्सा व्ययों का पुनर्भरण	683589	261935
सुरक्षा पर व्यय	5694465	5004927
आई टी सेवाओं पर व्यय	3911880	5277738
संविदा श्रमिकों पर व्यय	1285191	679919
पेंशन अंशदान	1394854	1303484
सामान्य खर्चे		
गोदाम का किराया	16622471	13201526
पुस्तकें एवं पत्रिकायें	26578	15652
कम्प्यूटर में उपयोग की सामग्री	702303	76840
मनोरंजन खर्चे	299862	98410
बिजली एवं पानी खर्च	1146353	783861
प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी व्यय	956491	1246650
पोस्टेज एवं कोरियर व्यय	110993	89329
टेलीफोन खर्चे	2257546	2637545
वी-सेट खर्चे	573857	311118
ऑफिस खर्चे	282921	676021
वैधानिक अंकेक्षण पारिश्रमिक	67416	50508
वैधानिक अंकेक्षकों का यात्रा व्यय	29400	41616
टैक्स अंकेक्षण फीस	10112	10112
आन्तरिक अंकेक्षण फीस	1154232	1141462
विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	808074	829331
व्यवसायिक एवं विधिक शुल्क	107586	24995
डिपो पर स्टॉक का बीमा	2618957	2077984
विविध खर्च	596260	8323
स्पोर्ट्स कौंसिल राजस्थान को	0	2000000
आयकर	1147562	0
रखरखाव खर्चे		
गोदाम एवं भवन की मरम्मत व रख-रखाव के खर्चे	873637	644281
यात्रा व गाड़ी के रखरखाव के खर्चे	791180	1193903
योग	**72569047**	**64928098**

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

अनुसूची-'आई'

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते का भाग

प्रबन्धकीय व्यय

	विवरण	31.03.2008 (रुपयों में)		31.03.2007 (रुपयों में)	
अ	पूर्णकालिक निदेशक (कार्यकारी निदेशक)				
	वेतन एवं भत्ते	466588		440612	
	यात्रा व्यय	8277		16920	
	पेंशन अंशदान	28800	503665	0	457532
ब.	अन्य निदेशक				
	अध्यक्ष को मानदेय	18000		18000	
	यात्रा व्यय	244798		235024	
	अन्य पुर्नभरण	22776	285574	0	253024
	योग		789239		710556

राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

अनुसूची-'जे'

31 मार्च, 2008 को को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते का भाग

वित्तीय व्यय

	विवरण	31.03.2008 (रुपयों में)	31.03.2007 (रुपयों में)
1.	ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज	97762.00	337170.00
2.	बैंक शुल्क	292352.00	1968646.00
	कुल योग :	390114.00	2305816.00

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

अनुसूची "के"

सन् 2007-08 के लेखों का भाग
लेखा एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों पर टिप्पणियाँ

1. **महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ :**

लेखांकन पद्धतियाँ

(i) वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परम्परा के आधार पर तैयार किये गये हैं।

(ii) जहाँ पर अन्यथा अंकित है उसके अतिरिक्त लेखांकन वृद्धिगत आधार पर किया गया है

(iii) क्रय एवं विक्रय नीति

(अ) विनिर्माता एवं आपूर्तिकर्त्ता सम्बन्धित क्षेत्र की मदिरा की मांग के अनुसार अपना आपूर्ति प्रस्ताव भेजते हैं। इसके उपरान्त विनिर्माता/आपूर्तिकर्त्ता को माल की आपूर्ति का आर्डर दिया जाता है। जो माल आता है उन्हें कॉरपोरेशन के गोदामों में चट्टे बनाकर रख दिया जाता है जिसे निगम द्वारा बीमित किया जाता है एवं विनिर्माता एवं आपूर्तिकर्ता उस माल की मांग उत्पन्न करने का दायित्व लेते हैं। सप्लाई किये गये माल का मूल्य बिक्री के उपरान्त के समय की कीमतों पर होता है। निगम के गोदाम से निर्धारित अवधि तक नहीं बिकने वाले माल पर समय-समय पर निर्माताओं से डेमरेज वसूला जाता है।

(ब) लाईसेन्सधारी खेरूज विक्रेताओ को पूरा मूल्य प्राप्त होने के बाद माल की डिलिवरी दी जाती है।

(iv) **आय स्वीकृति :**

(अ) बिक्री : बिक्री बीजक बनाने एवं डिपो से माल की रवानगी के पश्चात मानी जाती है। एक डिपो से दूसरे डिपो में स्थानान्तरण को बिक्री नहीं माना जाता है।

(ब) ब्याज : बैंक में स्थायी जमाओं से प्राप्त होने वाले ब्याज की एक्रूड पद्धति से गणना की जाती है।

(स) डेमरेज व अन्य प्राप्तियाँ : कारपोरेशन डेमरेज चार्जेज, ओ एफ एस वृद्धि और ट्रांसफर आउट ऑफ आर्डर (TOO) चार्जेज उत्पादकों से एल एस पी के प्रावधानों के अंतर्गत लिया जाता है।

2. **स्थाई सम्पति एवं ह्रास :**

(अ) स्थायी सम्पत्तियाँ : स्थायी सम्पत्तियों का मूल्य उनकी मूल लागत में से ह्रास कम करके माता जाता है।

(ब) ह्रास :

(i) ह्रास की गणना कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुसार अंकित मूल्य पर की जाती है।

(ii) नई खरीदी गयी सम्पत्तियाँ पर ह्रास उस सम्पति के खरीदने की तारीख से चार्ज किया जाता है।

(iii) जिन सम्पत्तियों की कीमत 5000/- रूपये से अधिक नहीं होती हैं उन पर 100% ह्रास का प्रावधान किया जाता है। परन्तु प्लान्ट एवं मशीनरी के विशिष्ट पुर्जे जिन की कीमत 5000/- या कम हो परन्तु प्लांट या मशीनरी की कीमत का 10% से अधिक हो तो उन पर कम्पनी अधिनियम 1956 में दी गयी दर से ह्रास का प्रावधान किया जाता है।

3. **कार्मिक**

कॉरपोरेशन में कार्मिक राज्य सरकार/राज्य सरकार के उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति पर लिये जाते है इन के सम्बन्ध में निगम उनके अवकाश वेतन, पेन्शन अंशदान, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, राज्य बीमा अंशदान का भुगतान उनके पैतृक संगठनों को करता है।

4. **आस्थगित कराधान :**

आयकर के लिये माने गये लाभ और वित्तीय विवरण के अनुसार लाभ के बीच के समय के अन्तर पर विचार किया जाता है और उसके बाद आस्थगित कर देयता/सम्पत्ति का निर्धारण किया जाता है। आस्थगित कर सम्पत्ति का निर्धारण तभी किया जाता है जब उसकी वसूली की समुचित निश्चितता हो।

5. **आकस्मिक देयतायें :**

आकस्मिक देयताओं का प्रावधान तभी किया जाता है, जब देयता बनने के समुचित कारण हों।

6. **आस्थगित राजस्व व्यय :**

31 मार्च 2007 तक हुये आस्थगित राजस्व व्यय को इसके होने के वर्ष के साथ पाँच वर्षों में समान रूप से बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

7. **सेवा निवृति :**

निगम की नीति के अनुसार ऐसे सभी व्यक्ति जो प्रतिनियुक्ति पर हैं और जिन्हे निगम द्वारा नियोजित नहीं किया गया है उनके सेवानिवृति लाभों का कोई दायित्व नहीं होगा। किन्तु राज्य सरकार के कर्मचारियों का निर्धारित पेंशन अंशदान राज्य सरकार के निर्देशानुसार निदेशक पेंशन को भेजा जाता है।

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

लेखा पर टिप्पणियाँ :

1. **कार्यविधि :**

इस कॉरपोरेशन की स्थापना 24 फरवरी, 2005 को राजस्थान सरकार द्वारा आई एम एफ एल और बीयर की राज्य में खरीद एवं बिक्री हेतु की गयी थी। कम्पनी ने निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित लिकर सोर्सिंग पॉलिसी और लिकर सेल पालिसी 2007-08 के अनुसार अपना कार्य संचालन किया।

2. **निम्न आकस्मिक देयता की व्यवस्था नहीं की गयी -**

(अ) मैसर्स अनु गुप्ता को देय 8.92 लाख रू की अपील माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन है।

(ब) कम्पनी के क्रिया कलापों को बिजनिस ऑक्जीलरी सर्विसिज के अन्तर्गत मानते हुये आयुक्त केन्द्रीय आबकारी विभाग, जयपुर ने 2/05 से 8/07 की अवधि के सर्विस टैक्स रू 521,25, 843 के भुगतान हेतु कारण बताओं नोटिस जारी किया है। निगम का विचार है कि निगम के क्रिया कलाप बि. आ. स. के अन्तर्गत नहीं आते। अत: इस हेतु राशि का प्रावधान नहीं रखा गया है।

(स) जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी विभाग, राजस्थान, जयपुर सिटी ने अपने पत्र दिनांक 13.12.07 व 16.06.08 के द्वारा वित्त वर्ष 2006-07 व 2007-08 की परमिट फीस व वेन्ड फीस विलम्ब से जमा कराने पर ब्याज के रूप में 32,89,550/-एवं 31,79,553 रु. की मांग रखी है। कम्पनी ने उक्त राशि की मांग निरस्त करने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है क्यों कि इस वर्ष में वैंड फीस और परमिट फीस अनेक बार अधिक जमा करायी गयी है।

3. वर्ष 2007-08 में निगम ने अपने स्टॉक सीधे खुदरा व्यापारियों को बेचे और 6000 से अधिक खुदरा व्यापारियों ने माल सीधा निगम से खरीदा।

4. आर. एस. बी. सी. एल. ने बिक्री में से खरीद मूल्य पर 2% कम कर खरीद के लिये गणना की है और कम्पनी ने अंकेक्षण के समय तक बिक्री के बराबर ही खरीद की है। वर्ष के अन्त में रहा स्टॉक उत्पादकों/आपूर्तिकर्ताओं का है, अत: निगम के लेखों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

5. यदि कोई टूट-फूट/कमी, अस्वाभाविक हानि सहित, यदि कोई है तो उसे लेखा पुस्तकों में नहीं लिया गया है। सामान्यत: इसे सम्बन्धित उत्पादकों द्वारा वहन किया गया है।

6. आपूर्ति आदेश (OFS) के अनुसार निर्माताओं द्वारा प्रेषित माल को कॉरपोरेशन के गोदामों में रखा जाता है। निगम की नीति है कि वह मन्द गति से विकने वाले माल में बीयर पर 60 दिवस बाद एवं आई एम एफ एल पर 120 दिवस बाद डेमरेज शुल्क लेता है जो कि रु. 2/- प्रतिदिन प्रति केस की दर से होता है। चालू वर्ष में कॉरपोरेशन को विभिन्न सप्लायर्स से डेमरेज शुल्क के प्राप्त 217,82806- रु. का लेखांकन किया गया।

7. लिकर सोर्स पालिसी के अनुसार खुदरा व्यापारियों (लाइसेन्सधारी) को माल के मूल्य का पूरा भुगतान लेने के उपरान्त ही बेचा जाता है। यद्यपि निगम के 51.87 लाख रू के ऋणी है।

8. जिला आबकारी अधिकारी बीकानेर, बूँदी और जयपुर के द्वारा जब्त किये गये माल सहित इस वर्ष में 13,05,855/- की कुल बिक्री हुई।

9. 31 मार्च 2008 को डिपो मैनेजरों को डिपो के छोटे छोटे खर्चे वहन करने के लिये इम्प्रेस्ट के रूप में दिये गये 419202/- रू बाकी हैं। खर्च का विवरण विभिन्न डिपो से प्राप्त हो गया है और उसे खर्च के रूप में अंकित कर लिया गया है।

10. कम्पनी के समावेशन में हुये खर्च के 5 लाख रूपये कम्पनी को राजस्थान सरकार से पूंजीगत अनुदान के रूप में प्राप्त हुये थे। इनमें से

Scanned with CamScanner

362500/- रू कम्पनी के समावेशन में खर्च हुये हैं। उक्त पूंजीगत अनुदान खाते के 362500/- रू का समायोजन 217500/- रूपये प्राथमिक खर्चों और 145000/- रू लाभ व हानि खातें में किया गया है। (पूर्व वर्ष में प्राथमिक खर्चों को अपलिखित किया गया था)

11. परमिट फीस, बेन्ड फीस एवं आबकारी कर पर सरचार्ज के 4332810/- रूपयों को अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है तथा देयता के रूप में दर्शित 5997642/- रू समाधान पर निर्भर है।

12. पार्टियों का डेबिट व क्रेडिट बैलेन्स पुष्टिकरण पर निर्भर है।

13. लघु औद्योगिक व्यवसाय, जिनको कम्पनी की 30 दिन पूर्व की देनदारी है- कोई नहीं ।

14. कम्पनी ने ऐसे आपूर्तिकर्त्ताओं से विवरण प्राप्त कर लिया है जिनके पास एम एस एम ई डी एक्ट 2006 के अन्तर्गत निदेशक, उद्योग विभाग राजस्थान या भारत सरकार का पंजीकरण प्रमाण पत्र है। इस सूचना के अभाव में यदि किसी उद्यम को बिना भुगतान की गयी 45 दिन पूर्व की राशि और ब्याज है तो वह पता लगाने योग्य नहीं है। फिर भी किसी भी आपूर्तिकर्त्ता ने स्वयं एक्ट 2006 की एम एस एम ई डी श्रेणी में आने के लिये दावा प्रस्तुत नहीं किया है।

15. राजस्थान सरकार के आदेश संख्या एफ-4 (1) एफ आई एन/ई एक्स/08/29.03.08 के अनुसार कम्पनी ने रु. 19.00 करोड़ प्रीविलेज फीस के रूप में राजस्थान सरकार को जमा करा दिये हैं।

16. राजस्थान सरकार के आबकारी विभाग के आदेश संख्या एफ-4 (5)/एफ/एक्साइज/05 दिनांक 8.11.07 के अनुसार कम्पनी ने लाइसेन्स फीस के रू 2.35 करोड़ राजस्थान सरकार को जमा करा दिये हैं।

17. बैंक ऑफ इण्डिया और पंजाब नेशनल बैंक के प्रधान कार्यालय के खातों में वर्ष 2005-06 की जमा राशि अज्ञात होने के कारण-पुन समाधान हेतु विचारधीन हैं ।

18. पूर्व वर्ष की आय व व्यय का समायोजन निम्न प्रकार है -

	पूर्व वर्ष से सम्बन्धित आय		23,73,282.00
	पूर्व वर्ष से सम्बन्धित खरीद		14,54,925.00
			38,28,207.00
घटायें	पूर्व वर्षो से सम्बन्धित खर्च	17,70,117.00	
	पूर्व वर्षो से सम्बन्धित बिक्री	16,66,259.00	
			34,36,376.00
			391831.00

कम्पनी अधिनियम 1956 के द्वितीय भाग की अनुसूची VI के अनुसार अतिरिक्त सूचना

19. आई.एम.एफ.एल. और बीयर के क्रय विक्रय की मात्रात्मक सूचना -

मूल्य (करोड़ रुपये में)

	मात्रा	**31.03.2008**	मात्रा	**31.03.2007**	
	केस	बोतल			
प्रारम्भिक स्टॉक	------	------	------	----	------
बिक्री : आई एम एफ एल	3743212	332132	1302.72	----	1003.07
बीयर	10593371	9753			
खरीद : आई एम एफ एल	3743212	332132	1277.18	----	983.40
बीयर	10593371	9753			
अंतिम स्टॉक	------	------	------	----	------

Scanned with CamScanner

20. निदेशकों के पारिश्रमिक	31.03.2008 रूपये	31.03.2007 रूपये
(चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशक सहित)		
वेतन एवं भत्ता	5,07,364.00	4,29,812.00
पेंशन फंड में अंशदान	28,800.00	28,800.00
यात्रा	2,53,075.00	2,51,944.00
	7,89,239.00	**7,10,556.00**
अंकेक्षकों को देय पारिश्रमिक		
वैधानिक अंकेक्षण फीस	67,416.00	50,508.00
कर अंकेक्षण फीस	10,112.00	10,112.00
	77,528.00	**60,620.00**

21. **लेखांकन मानक 22 आस्थगित कर**

आस्थगित कर देयता/सम्पत्तियों का निर्धारण आई सी ए आई द्वारा जारी लेखा स्टेडण्र्ड 22 (AS-22) ''आयों पर कर लेखांकन''के आधार पर की गयी और उसका विवरण इस प्रकार है :

	31.03.08 को (रूपये)	31.03.07 को (रूपये)
आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ जो कि समय बदलने के कारण उत्पन्न हुई है		
आस्थगित राजस्व खर्चे	-----	1,28,944.00
आस्थगित कर देयता जो की समय बदलने के कारण उत्पन्न हुई है :		
ह्रास	2,40,673.00	3,10,071.00
आस्थगित कर सम्पत्ति	15,276.00	-
शुद्ध आस्थगित कर देयता	2,25,397.00	1,81,127.00

22. पार्टी और मदों को इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के द्वारा निर्धारित पार्टी डिसक्लोजर्स से सम्बन्धित लेखांकन विधि 18 के आधार पर जाँच लिया है

			2007-08	**2006-07**
श्री राजीव महर्षि	अध्यक्ष	मानदेय	18,000.00	55,269.00
श्री सी.पी. व्यास	प्रबंध निदेशक	यात्रा व्यय	2,67,574.00	1,97,755.00
श्री आर. के. गोयल	कार्यकारी निदेशक	वेतन एवं भत्ते	5,03,665.00	4,57,532.00

23. नकद प्रवाह विवरण इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित ए.एस. 3 के अनुसार परोक्ष विधि (इन्डाईरेक्ट मेथड़) से तैयार किया गया है।
24. विदेशी मुद्रा में कोई आय और व्यय नहीं है।
25. व्ययों को रूपये के निकटतम (राउण्डेड ऑफ) किया गया है।
26. पूर्व वर्ष को संख्याओं को चालू वर्ष से तुलनात्मक बनाने के लिये जहाँ आवश्यक समझा गया वहाँ पूर्व वर्ष की संख्याओं को समूहीकृत/पुर्नव्यवस्थित किया गया है।
27. ए से के तक के विवरण व लेखांकन नीतियाँ लेखा का अभिन्न हिस्सा है।

समसंख्यक दिनांक के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार
कृते धूत एण्ड एसोसियेट्स
चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट

निदेशक मण्डल की ओर से

ह.	ह.	ह.	ह.	ह.
के.के. धूत	बी. के. शर्मा	आर. के. सिंघल	आर. के. गोयल	सी. पी. व्यास
साझीदार	महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)	कम्पनी सचिव	कार्यकारी निदेशक	प्रबन्ध निदेशक

स्थान : जयपुर
दिनांक : 21 अगस्त 2008

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

नकद प्रवाह विवरण 2007-08

परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह	31.03.2008 (रु. लाख में)		31.03.2007 (रु. लाख में)	
असाधारण मदों के समायोजन एवं कर से पूर्व शुद्ध लाभ	70.2		16.92	
अपलिखित किये गये ह्रास व विविध व्यय का समायोजन	23.43		16.63	
ब्याज से आय	(158.26)		(122.28)	
पूर्व काल के व्यय	3.92			
ब्याज व्यय	3.9		23.05	
कार्य पूंजी के बदलने से पूर्व परिचालित लाभ	(56.81)		(61.66)	
विविध देनदारों में बढोत्तरी	42.22		(1.06)	
इनवेन्ट्री में वृद्धि	-		-	
लेनदारों में बढोतरी/घटोतरी	1147.55		2654.61	
अदत्त खर्चों में बढोतरी	155.73		176.64	
चालू आस्तियों एवं अग्रिमों में बढोत्तरी	23.69		(336.93)	
परिचालन से नकद उपार्जन	1312.38		2631.58	
आयकर चुकाया	(1.98)		(17.49)	
असाधारण मदों से पूर्व नकद प्रवाह	5.46		(10.63)	
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद		1315.86		2603.46
विनिवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह				
स्थाई सम्पत्तियों का क्रय	(27.02)		(75.10)	
राष्ट्रीय बचत पत्र की खरीद	0.00		0.00	
ब्याज प्राप्तियाँ	158.26		122.28	
लाभांश प्राप्ति	0.00		(0.00)	
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद		131.24		47.18
वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह				
अंशपूंजी से प्राप्त आय	0		0.00	
सबसिडी एवं अनुदान से आय	0.00		0.00	
दीर्घकालीन उधार का पुन: भुगतान	0		0.00	
ब्याज चुकाया	(3.90)		(23.05)	
लाभांश चुकाया	-		-	
वित्तीय गतिविधियों में नकद का उपयोग		(3.90)		(23.05)
नकद एवं नकद समतुल्य में शुद्ध बढोतरी		1443.20		
अवधि के आरम्भ में नकद एवं नकद समतुल्य		2627.59		
अवधि की समाप्ति पर नकद एवं नकद समतुल्य		4070.79		2627.59

समसंख्यक दिनांक के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार
कृते धूत एण्ड एसोसियेट्स
चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट्स

कृते निदेशक बोर्ड

ह.	ह.	ह.	ह.	ह.
के. के. धूत	बी. के. शर्मा	आर. के. सिंघल	आर. के. गोयल	सी. पी. व्यास
साझीदार	महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)	कम्पनी सचिव	कार्यकारी निदेशक	प्रबन्ध निदेशक

स्थान : जयपुर
दिनांक : 21.08.2008

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

तुलन पत्र सारांश एवं कम्पनी के सामान्य कारोबार की रूपरेखा

(कम्पनी अधिनियम 1956 के पार्ट IV अनुसूची VI के अनुसरण में)

(अ) पंजीयन का विवरण

पंजीयन संख्या	17020336	राज्य कोड	17
तुलन पत्र का दिनांक	31.03.08		

(ब) आलोच्य वर्ष में एकत्रित पूँजी (रूपए हजारों में)

सार्वजनिक निर्गम	शून्य	राइट निर्गम	शून्य
बोनस निर्गमन	शून्य	प्राइवेट प्लेसमेंट	शून्य

(स) निधियों को जुटाने एवं लगाने की स्थिति (रूपए हजारों में)

कुल देयतायें	23943.52	कुल आस्तियाँ	23943.52
निधियों के स्रोत			
प्रदत्त पूँजी	20000.00	आरक्षित एवं अधिशेष	3499.19
प्रतिभूत ऋण	शून्य	अप्रतिभूत ऋण	शून्य
		डी टी एल	4.44
निधियों का प्रयोग			
शुद्ध स्थिर आस्तियाँ	7260.62	निवेश	3
शुद्ध चालू आस्तियाँ	15262.42	विविध व्यय	1417.49
संचित हानियाँ	शून्य		

(द) कम्पनी का कार्य निष्पादन (रूपए हजारों में)

टर्न ओवर	13027238.35	कुल व्यय	289374.79
कर से पूर्व लाभ	7412.00	कर के बाद लाभ/हानि	2465.48
प्रति शेयर आय (रूपए में)	24.03 (4.20)	लाभांश दर प्रतिशत	10.00

(य) कम्पनी के प्रमुख तीन उत्पाद/सेवाओं का नाम

मद कोड संख्या	शून्य
वस्तु का विवरण	आई एम एफ एल/बीयर

कृते धूत एण्ड एसोसियेट्स
चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट्स

निदेशक मण्डल की ओर से

ह.	ह.	ह.	ह.	ह.
के.के. धूत	**बी. के. शर्मा**	**आर. के. सिंघल**	**आर. के. गोयल**	**सी. पी. व्यास**
साझीदार	महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)	कम्पनी सचिव	कार्यकारी निदेशक	प्रबन्ध निदेशक

स्थान : जयपुर
दिनांक : 21.08.2008

Scanned with CamScanner

अनुचूचि-1

लेखा परीक्षक की रिपोट	उत्तर
1. (अ) परिसम्पत्तियों पर ह्रास प्रभारित करने के अतिरिक्त कम्पनी ने परिमाणात्मक विवरण व स्थितियों सहित अपना रिकार्ड समुचित ढंग से रखा है।	नोट किया। ह्रास प्रभारित किया जा रहा है और अलग से समेकित आधार पर तैयार किया गया है और नियत दर पर उसके प्रभाव का हिसाव पुस्तकों में रखा जा रहा है।
(ब) जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है प्रबन्धन द्वारा स्थाई सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन वर्ष में एक बार किया जा चुका है। प्रबन्धन ने यह प्रमाणित किया है कि सत्यापन में कोई भी भौतिक अन्तर दृष्टिगत नहीं हुआ है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(स) इस वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेशन ने किसी भी स्थाई सम्पत्ति के किसी भी हिस्से का निष्पादन नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
2. (अ) हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी के स्टॉक का प्रबन्धन द्वारा उचित अन्तराल से भौतिक सत्यापन किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(ब) जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है निगम के आकार एवं कार्य की प्रकृति के अनुसार प्रबन्धन द्वारा किया गया स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने का तरीका युक्तिसंगत एवं पर्याप्त है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(स) जैसा कि हमें बताया गया है कॉरपोरेशन द्वारा सोफ्टवेयर पर सारे माल का रिकार्ड रखा हुआ है। यद्यपि इसका ई डी पी अकेक्षंण नही किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं। जैसा कि ई डी पी (इलैक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेस) अंकेक्षण का सम्बन्ध है, महालेखाकार, राजस्थान ने निगम का आई.टी. अंकेक्षण करने के लिये 2-3 अधिकारियों की टीम नियुक्त की है। वित्त वर्ष 2006-07 व 2007-08 का विस्तृत विवरण उपलब्ध करा दिया गया है। रिपोर्ट प्राप्त होना अभी शेष है।
3. (अ) कम्पनी ने किसी कम्पनी फर्म या अन्य पार्टी न तो कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण दिया है और न ही लिया है जो कि कम्पनी एक्ट की धारा 301 के अन्तर्गत बनाये गये रजिस्टर में आता हो।	कोई टिप्पणी नहीं
(ब) चूंकि कम्पनी ने कम्पनी एक्ट की धारा 301 के अन्तर्गत बनाये गये रजिस्टर में आने योग्य न तो कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण किसी कम्पनी, फर्म या अन्य पार्टी को दिया है या लिया है इसलिये बिन्दु संख्या 4 (iii) (b) से (d) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं
4. हमारे विचार में और जो सूचना और स्पष्टीकरण हमें दिया गया है के अनुसार कम्पनी के आकार और इसके व्यापार की प्रकृति को देखते हुये कम्पनी द्वारा स्टॉक एवं स्थिर आस्तियों की खरीद एवं माल की	

Scanned with CamScanner

लेखा परीक्षक की रिपोट	उत्तर
बिक्री और सेवाओं के लिये प्रर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की गई है वह काफी सुदृढ है परन्तु	नोट किया और ध्यान पर लिया
(अ) लीकर सोर्स पॉलिसी के पैरा 9.6 के अनुसार जो बीयर बोटलिंग के दिनांक से छह माह तक बिना बिके रह जाती है उसे इन्सानी उपयोग के लिये अनुपयुक्त घोषित कर निगम द्वारा नष्ट कर दिया जाना चाहिये। कम्पनी ने बोटलिंग की दिनांक अंकित नहीं की है। इस प्रकार निगम द्वारा इस नीति का उचित पालन नही हुआ है।	(अ) सम्बन्धित डिपो पर स्टॉक सामग्री की प्रत्येक बोतल/कार्टन की निर्माण तिथि व माह का उल्लेख रखता है एवं सामग्री जारी करते समय पहले आया पहले गया सिद्धान्त उपयोग में लिया जाता है। अत: कोई भी स्टॉक विशेष विशेष रूप से बीयर छः माह से अधिक समय तक बिना बिके रह जाती है वह ज्ञात हो जाता है एवं उसे निर्धारित प्रक्रिया से नष्ट (ड्रेनआउट) कर दिया जाता है।
(ब) कम्पनी ने बिक्री, खरीद देनदारों से प्राप्त भुगतान की मासिक प्रविष्टि साधारणत: महिने के अन्त में नियमित लेखा पुस्तकों में की है।	(ब) कोई टिप्पणी नहीं।
(स) लिकर सेल्स पॉलिसी के अनुसार खुदरा व्यापारियों को माल पूरा भुगतान लेकर दिया जाता है। फिर भी निगम के 51.87 लाख (6 माह से अधिक समय पूर्व के 47.00 लाख सहित) रुपये देनदारों में बकाया है। यह प्रदर्शित करता है कि निगम ने पूरा भुगतान लिये बिना ही माल बेचा है।	(स) कुल योग में से 42.32 लाख रूपये वित्त वर्ष 2005-06 के हैं, 4.67 लाख वित्त वर्ष 2006-07 और 4.87 लाख वित्त वर्ष 2007-08 के हैं। आगे लेख है कि 38.79 लाख रू. संशोधन/समायोजन हेतु वर्ष 2005-06 की बिक्री के शेष है। जबकि 44.95 लाख रूपये की क्रेडिट साइड में वृद्धि बिक्री में गिरावट के कारण है। जिसे विविध देनदारों में दिखाया गया है। फिर भी वर्ष 2005-06 के शेष 8.77 लाख रुपये की उगाही वर्ष 2008-09 में करली गयी है।
(द) आडिट के समय हमें आन्तरिक नियंत्रण व्यवस्था में लगातार चलती आ रही कमी दृष्टिगत नहीं हुई, जिसे ठीक किया जाये।	(द) कोई टिप्पणी नहीं।
5. धारा 301 के अन्तर्गत आने वाला कोई अनुबन्ध या प्रबन्ध नहीं है। इस वास्तविकता को देखते हुए कि यहाँ कोई अनुबन्ध या प्रबन्ध नहीं है जिसकी कम्पनी एक्ट की धारा 301 के अर्न्तगत रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं की जाती। बिन्दु 5 (बी) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
6. चूंकि कम्पनी ने पब्लिक से कोई धन नहीं जुटाया है, इसलिए रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश एवं धारा 58A, 58AA, या कम्पनी एक्ट के अन्य कोई सम्बन्धित नियम लागू नहीं होते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
7. हमारे विचार में कम्पनी के आकार एवं व्यवसाय के अनुरूप इसमें आन्तरिक अंकेक्षण पद्धति लागू है।	कोई टिप्पणी नहीं।
8. केन्द्रीय सरकार अधिनियम 1956 की धारा 209 (1) (डी) के अनुसार व्यय विवरण रखने के लिए इंगित नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।

Scanned with CamScanner

9. (अ) जैसी सूचना और स्पष्टीकरण दिया गया है एव लेखा किताबों की निरीक्षण से हमें ज्ञात हुआ है कि कम्पनी ने दूसरे सरकारी सगठनों के अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर लिये गये है जिनके वैधानिक भुगतान जैसे भविष्य निधि, कर्मचारी स्टेट बीमा, उनके पैतृक सगठनों में जमा कर दिये गये है। कम्पनी सामान्यत: गैर विवादित वैधानिक बकाया जैसे आयकर, बिक्रीकर, सम्पदा कर, सीमाशुल्क, एक्साइज ड्यूटी, सैस, सर्विस टैक्स और अन्य बकाया समय पर सम्बन्धित सरकारी महकमें मे नियमित जमा करवाती है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(ब) हमें प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार निगम पर आयकर, सम्पदा कर, बिक्रीकर, सीमा शुल्क, एक्साइज ड्यूटी और सैस का कोई भी अविवादित भुगतान बकाया नहीं है जो 31 मार्च, 2008 को 6 महिने पूर्व का देय हो।	कोई टिप्पणी नहीं।
(स) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार आयुक्त केन्द्रीय आबकारी विभाग जयपुर-1 के "कारण बताओ नोटिस" के कारण विवादित फरवरी-05 से अगस्त 07 तक के सेवा कर के रूपये 521,25,843.00 के अतिरिक्त बिक्रीकर, आयकर, सीमाशुल्क, सम्पदा कर, एक्साइज ड्यूटी, सैस का कोई भी बकाया किसी विवाद के कारण देय नहीं है।	(स) निगम का दृढ विचार है कि इसके क्रिया-कलाप साधारणत: आईएमएफएल। बीयर का व्यापार है। अर्थात् राजस्थान सरकार के आदेशानुसार आपूर्तिकर्ताओं से आईएमएफएल/बीयर खरीदना और उसे अधिकृत लाइसेंसधारियों को बेचना और किसी भी तरह से ये क्रिया कलाप "बिजनिस ऑक्सीलरी सर्विसेज" (बी ए एस) के अन्तर्गत नहीं आते हैं इसके अतिरिक्त निगम ने विषय-विशेषज्ञ श्री पंकज मलिक की भी राय ली है, जिनका स्पष्ट दृष्टिकोण है कि निगम के क्रिया कलाप बिजनिस आक्जीलरी सर्विसेज के अन्तर्गत नहीं आते हैं। इस मामले को तैयार कर इसे निगम के प्रतिनिधि के रूप में आयुक्त केन्द्रीय आबकारी विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये श्री पंकज मलिक को नियुक्त कर लिया है।
10. कम्पनी के कोई संचित घाटा नहीं है और अंकेक्षित वित्त वर्ष एवं पूर्व वर्ष में भी नकद नुकसान नहीं हुआ है।	कोई टिप्पणी नहीं।
11. कम्पनी वित्तीय संस्थाओं, बैंक या ऋण पत्र धारकों को पुन: भुगतान करने में कही भी गलती पर नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
12. कम्पनी ने शेयर, डिबेन्चर या अन्य प्रतिभूति गिरवी रखकर कोई भी ऋण या अग्रिम स्वीकृत नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
13. कम्पनी कोई चिट फण्ड/निधि/म्यूचुवल बेनिफिट फण्ड/सोसाइटी नहीं है। इसलिए कम्पनीज (ऑडिटर्स रिपोर्ट) आर्डर 2003 के क्लोज 4 (xiii) के प्रावधान लागू नहीं होते।	कोई टिप्पणी नहीं।

Scanned with CamScanner

14. कम्पनी, शेयर प्रतिभूति, डिबेन्चर्स या अन्य विनिवेष के क्रय-विक्रय का धन्धा नहीं करती है।	कोई टिप्पणी नहीं।
15. कम्पनी ने दूसरे के द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से उठाये गये ऋण की कोई जमानत नहीं दी है।	कोई टिप्पणी नहीं।
16. कम्पनी ने अंकेक्षण अवधि में कोई भी सावधि ऋण नहीं लिया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
17. हमारे द्वारा नकद प्रवाह विवरण व अन्य विवरणों की जांच एवं हमें दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार लघु अवधि के रखी गयी राशि का प्रथम दृष्टा लम्बे समय के निवेश नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
18. कम्पनी ने शेयरों का, पार्टियों को या कम्पनी को कोई भी अधिमान्य आवंटन नहीं किया है जो कि अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत बनाये गये रजिस्टर में सम्मिलित हों।	कोई टिप्पणी नहीं
19. कम्पनी ने ऋण पत्र निर्गमित नहीं किए हैं अत: कोई भी प्रतिभूति नहीं रखी गयी है।	कोई टिप्पणी नहीं
20. कम्पनी के द्वारा किसी भी सार्वजनिक निर्गमन द्वारा पैसा इकट्ठा नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं
21. हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार इस वर्ष उदयपुर डिपो में 2.80 लाख रू. की जालसाजी का पता वर्ष के दौरान लगा है। इसका उल्लेख लेखा पुस्तकों में नहीं किया गया है।	अप्रेल 2007 में रिकार्ड-विशेषरूप से चालानों (जिनके द्वारा माल प्राप्त करने के लिए बैंक में राशि जमा कराई जाती है) का मिलान करने पर विदित हुआ है कि 7 मामलों में 5000/- रुपये की जगह 45000/- रुपये जमा कराये गये हैं जिसका पता बैंक से संतुष्टि के बाद चला है। परिणामस्वरूप एफ.आई.आर. 164/07 दर्ज करा दी गई। इसके उपरान्त भी डिपो में नियुक्त एक कनिष्ठ लेखाकार श्री हेमेन्द्र राव को निलम्बित कर दिया गया। उक्त लेखाकार के विरुद्ध निगम के अनुरोध पर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की उनके नियुक्ति अधिकारी-निदेशक ट्रेजरी एवं अकाउण्ट्स के द्वारा की गई है।

Scanned with CamScanner

संख्या/No. सीएडब्ल्यू-I/वाले/आरएसबीसीएल/2007-08/के 240 D-1090

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा), राजस्थान

जनपथ, जयपुर-302 005

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (COMMERCIAL & RECEIPT AUDIT) ,RAJASTHAN

JANPATH, JAIPUR-302 005

दिनांक/Date 19.9.2008

प्रबन्ध निदेशक,
राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
'डी' ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ,
जयपुर ।

विषय : राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर के 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणी।

महोदय,

मुझे कम्पनी अधिनियम की धारा 619 (5) के अंतर्गत कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत करने हेतु 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम की धारा 619 (4) के अधीन 'शून्य टिप्पणी प्रमाण-पत्र' जारी करने का आदेश प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त अवधि के वार्षिक लेखे एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की सात प्रतियां जैसी कि साधारण सभा में रखी जावें तथा स्वीकृत की जावें, कृपया इस कार्यालय को शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।

भवदीया,

ह.

व. उपमहालेखाकार (वाणिज्यिक)

संलग्न : उपरोक्तानुसार

टेलेक्स : 2285 फैक्स : 0141-2385230 टेलीफोन : 2385431-39 तार : लेखापरीक्षा II, जयपुर
Telex : 2285 Fax : 0141-2385230 Telephone : 2385431-39 Telgram : Lekhapariksha II,Jaipur

Scanned with CamScanner

31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर के लेखों पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दिनांक 31.03.08 को समाप्त वर्ष के-वार्षिक लेखों का कम्पनी अधिनियम 1956 में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी प्रबन्धन का है। भारत के नियंत्रक एंव महालेखा परीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत नियुक्त वैधानिक अंकेक्षक का उत्तरदायित्व स्वतंत्र अंकेक्षण के आधार पर उनके व्यवसायिक निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया के द्वारा निर्धारित आडिटिंग एण्ड एश्यूरेन्स मापदण्डों के अनुसार वित्तीय विवरणों कम्पनी एक्ट 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत पर अपनी राय देने का है। लेख है कि यह उनके द्वारा अंकेक्षण रिपोर्ट 21.08.2008 के अनुसार किया गया है।

राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लि. का 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों का का पूरक अंकेक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3) (बी) के अन्तर्गत किया गया है। यह पूरक अंकेक्षण बिना वैधानिक अंकेक्षकों के पत्रों के स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह वैधानिक अंकेक्षकों व कम्पनी के कार्मिकों से पूछताछ और कुछ चयनित अभिलेखों की परीक्षा तक प्राथमिक रूप से सीमित है। मेरे अंकेक्षण के अनुसार लेख है कि ऐसी कोई विशेष बात दृष्टिगत नहीं हुई है जिस पर टिप्पणी की जावे या जो कम्पनी एक्ट 1956 की धारा 619 (4) अनुसार किये गये अंकेक्षण की रिपोर्ट की पूरक हो।

ह./-
(सतीश लूम्बा)
महालेखाकार (सी एण्ड आर अंकेक्षण)
राजस्थान, जयपुर

स्थान : जयपुर
दिनांक : 19.09.2008

Scanned with CamScanner

राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

प्रथम मंजिल, डी-ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर

फोन : 0141-2744233/34, फैक्स : 0141-2744237

Rajasthan State Beverages Corporation Limited

(A Government of Rajasthan Undertaking)

1st Floor, D-Block, Vitta Bhawan, Janpath, Jaipur

Ph. : 0141-2744233/34, Fax : 0141-2744237

Website : www.rsbcl.com

Scanned with CamScanner